

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./86/09/1143

भोपाल,दिनांक/18-9-2009

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती अनुराधा गुप्ता (रसायन)	AN 9711	शास.उ.मा.वि.सिंगोट जिला खण्डवा	23290877702	शास एम.एल.बी.क. उ.मा.वि.खण्डवा जिला खण्डवा	23290777701
2	श्री राजेश लाड (रसायन)	BK 2057	शारा.एम.एल.बी.क. उ.मा.वि.खण्डवा जिला खण्डवा	23290777701	शारा.उ.मा.वि.सिंगोट जिला खण्डवा	23290877702



आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक/18-9-2009

पृष्ठा क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./86/09/1144
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान.मुख्य मंत्री कार्यालय मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर उनकी टीप क्र. /एचसीएम 867/09,दिनांक 11.9.09 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. कलेक्टर जिला खण्डवा।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला खण्डवा।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय इन्दौर।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला खण्डवा।
8. जिला शिक्षा अधिकारी खण्डवा म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत संचालनालय को तत्काल भेजे।
9. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक स्था.2/राज/सी/बी.ई.ओ./ 75/09/1149

भोपाल,दिनांक 18/9/09

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के स्वेच्छक स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 4 में अंकित कार्यालय (वि.ख.शि.) में स्वयं के व्यय पर किये जाते हैं।

2/ यह स्थानान्तरण स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर किये जा रहे हैं अतः इन्हे किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादी की पात्रता नहीं होगी।।

स. क्र.	बी.ई.ओ.का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री जी.डी.रावत (बीईओ)	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ	कार्या.वि.खं.शिक्षा अधि. टीकमगढ जिला टीकमगढ

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”



आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 18/9/09

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/राज/सी/बी.ई.ओ./ 75 /09/1150
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक,मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला टीकमगढ म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सागर म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला, टीकमगढ म.प्र.
6. जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ, की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित वि.खं.शि.अधिकारी को कार्यमुक्त करने के पूर्व संबंधित के सेवाअभिलेख से यह पुष्टि कर ले कि स्थानान्तरित वि.ख.शि.अ. वर्तमान में सेवारत है, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी है एवं स्थानान्तरित वि.ख. में पद रिक्त है, तथा स्थानान्तरित वि.ख.शि.अधिकारी की पदस्थापना जिस विकास खण्ड में की गई है, वह उनका गृह विकास खण्ड तो नहीं है। पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित अधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
7. संबंधित कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./74/09/1147

भोपाल,दिनांक 18/9/09

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा प्रतिनियुक्ति से वापसी एवं पद विरुद्ध हाईस्कूल प्राचार्य के पद पर कार्यरत व्याख्याताओं को मूल पद पर पदस्थापना समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री आर.पी. चतुर्वेदी	AQ 2089	कार्या.जि.शि.अ.जिला जबलपुर	-	शास.उ.मा.वि.क. शाहपुरा इटोनी जिला जबलपुर	23390677702
2	श्री कन्हैयालाल मालवीय	अप्राप्त	कार्या.जि.शि.अ.जिला जबलपुर	-	शास.उ.मा.वि. पोलायकला जिला शाजापुर	23220777707
3	श्री प्रभूदयाल पचौरी	अप्राप्त	कार्या.जि.शि.अ.जिला भिण्ड	-	शास.उ.मा.वि.अमायन जिला भिण्ड	23030377704
4.	श्री मुकेश श्रीवास्तव	AR 7810	वर्तमान पदस्थापना कार्या. जि.शि.अ. नरसिंहपुर शास.उ.मा.वि. महेबा जिला पन्ना किये गये स्थानांतरण में संशोधन कर	-	शास.उ.मा.वि.बी.टी. आई.गाडरवाडा जिला नरसिंहपुर	23400577704
5.	श्री अरूण कुमार शर्मा	BD 6304	वर्तमान पदस्थापना कार्या. जि.शि.अ. टीकमगढ	-	शास.उ.मा.वि.मवई जिला टीकमगढ	23080677704
6.	श्री शेख जलालउद्दीन	अप्राप्त	वर्तमान पदस्थापना कार्या. जि.शि.अ. टीकमगढ	-	शास.उ.मा.वि. बलदेवगढ जिला टीकमगढ	23080177701
7.	श्री राजेश मोहन त्रिपाठी	AF 8865	शास.शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर से प्रतिनियुक्ति सेवा वापसी उपरांत	-	शास.उ.मा.वि. खजुराहो जिला छतरपुर	23090877703
8.	श्री रवीन्द्र कुमार शुक्ला	AF 8864	शास.शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर से प्रतिनियुक्ति सेवा वापसी उपरांत	-	शास.उ.मा.वि. महाराजपुर जिला छतरपुर	23090777706
9.	श्री अरविंद श्रीवास्तव	अप्राप्त	वर्तमान उपस्थिति लोक शिक्षण संचालनालय म. प्र.राज्य ओपन स्कूल से प्रतिनियुक्ति से सेवाये वापसी उपरांत	-	शास.उ.मा.वि.बा. बेगमगंज जिला रायसेन	23040277701

10.	श्री के.के.शर्मा	अप्राप्त	महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान से प्रतिनियुक्ति वापसी उपरांत वर्तमान उपस्थित लोक शिक्षण संचालनालय उपस्थित	-	शास.उ.मा.वि.दोराहा जिला सीहोर	23330577703
11	श्री सुभाष जैन	अप्राप्त	शास.उ.मा.वि. बाणगंगा जिला इन्दौर	23260177708	शास.उ.मा.वि.क. देपालपुर जिला इन्दौर	23260377705


"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल, दिनांक 18/9/09

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./74/09/1148
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. कलेक्टर जिला जबलपुर/शाजापुर/भिण्ड/नरसिंहपुर/टीकमगढ/छतरपुर/रायसेन/सिहोर/इन्दौर ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचातयत जिला जबलपुर/शाजापुर/भिण्ड /नरसिंहपुर /टीकमगढ/छतरपुर/रायसेन/सिहोर/इन्दौर ।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर /सागर/भोपाल/इन्दौर ।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर/शाजापुर/भिण्ड/नरसिंहपुर/टीकमगढ/छतरपुर/रायसेन/सिहोर/इन्दौर ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर /शाजापुर /भिण्ड /नरसिंहपुर /टीकमगढ/छतरपुर /रायसेन/सिहोर/इन्दौर । म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत संचालनालय को तत्काल भेजे ।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./54/09/1145


भोपाल,दिनांक/8-9-2009

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि को प्राप्तता नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी (भौतिक)	AX 6050	शास.उ.मा.वि.बंडा जिला सागर	23110977702	शास.एम.एल.बी.उ. मा.वि.सागर जिला सागर	23110977702


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 8-9-2009

पृष्ठा क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./54/09/1146
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला सागर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सागर।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सागर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला सागर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी सागर म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत संचालनालय को तत्काल भेजे।
8. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.